सं0सं0–7 / बजट–46–12 / 2023– 205 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–13/08/2025

विषयः– "विकसित बिहार के सात निश्चय–1" अंतर्गत कोशी प्रमंडल में नवनिर्मित ए0एन0एम0 स्कूल, जी0एन0एम0 स्कूल एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज के पूर्व स्वीकृत योजनान्तर्गत नव निर्मित भवनों के सभी प्रयोगशालाओं में अधिष्ठापित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से Turnkey Basis पर चिन्हित उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में, रु0 4,99,43,400/–(रुपये चार करोड़ निन्यानवे लाख तेतालिस हजार चार सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में रु० 49,43,400/–(रुपये उनचास लाख तेतालिस हजार चार सौ) मात्र व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि "विकसित बिहार के सात निश्चय–1" अन्तर्गत राज्य में 54 मुख्यमंत्री निश्चय ए0एन0एम0 स्कूल के निर्माण हेतु, 23 मुख्यमंत्री निश्चय जी0एन0एम0 स्कूल के निर्माण एवं 16 मुख्यमंत्री निश्चय बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास के निर्माण के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमे केवल भवन, फर्निचर आदि कार्य ही शामिल रहने के कारण 6 विविध प्रयोगशालायें (Skills Lab, Community Health Nursing Lab, Nutrition Lab, Anatomy and Physiology Lab, Pre-Clinical Lab & IT Lab) हेतु उपकरण एव उपस्करो को अधिष्ठापित नहीं किया जा सका है।

2– अतएव नव निर्मित भवनों के सभी प्रयोगशालाओं के सचालन हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्रालय, भारत सरकार अन्तर्गत Indian Nursing Council के National Health Policy Revised Operational Guidelines–2017 के अनुरूप संस्थान–कोटिवार उपकरणो की संख्या एवं बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना अन्तर्गत गठित तकनीकी विशिष्टता समिति के द्वारा प्राक्कलित दर पर होने वाले व्यय विवरणी प्रमडलवार तैयार की गयी है। निर्माण एजेन्सी (BMSICL) के द्वारा प्रमंडलवार Turnkey Basis पर सभी संस्थानों में उपकरणो की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन किया जाना है। इसके लिए कोशी प्रमडल अन्तर्गत नवनिर्मित सस्थानो हेतु रु० 4,99,43,400/– (रुपये चार करोड निन्यानवे लाख तेतालिस हजार चार सौ) मात्र की मांग की गयी है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सख्या–549(7), दिनांक–17.03 2023 द्वारा प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 मे उक्त परियोजना अंतर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सख्या–513(7), दिनाक–13.03.2025 के द्वारा रु० 49,43,400/– मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गयी थी, जिसकी निकासी तकनीकी कारणवश नहीं की जा सकी।

3– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	व्ययादेश स0 एवदिनाक
1	2023–24	50,00,000/–	सं0–21(7), दिनांक–08 05 2023
2	2023–24	3,00,00,000/–	सं0–247(7), दिनाक–27.09 2023
3	2023–24	1,00,00,000/–	स0–474(7), दिनांक–15 02.2024
कुल–		**4,50,00,000/–**	

4– तद्नुसार "विकसित बिहार के सात निश्चय–1" अतर्गत कोशी प्रमंडल मे नवनिर्मित ए0एन0एम0 स्कूल, जी0एन0एम0 स्कूल एव बी0एस0सी0 नर्सिग कॉलेज के पूर्व स्वीकृत योजनान्तर्गत नव निर्मित भवनो के सभी प्रयोगशालाओ मे अधिष्ठापित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना से Turnkey Basis पर चिन्हित उपकरणों एव उपस्करो के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 मे, रु0 4,99,43,400/–(रुपये चार करोड निन्यानवे लाख तेतालिस हजार चार सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 मे रु० 49,43,400/–(रुपये उनचास लाख तेतालिस हजार चार सौ) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–549(7) दिनांक–17 03.2023 में निहित्त शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

6– यह व्ययादेश/राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17 04 98, 2880/वि0(2), दिनाक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनाक–31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनाक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

8– इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान–105– एलोपैथी–0112–ए0एन0एम0 एव जी0एन0एम0 स्कूल, विपत्र कोड–20–4210031050112 अन्तर्गत विषय शीर्ष–0112–52 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य ईकाई में उपबंधित से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

9– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–**PBBPLA007** विपत्र कोड–**00-8448001110002-0001** के अन्तर्गत **ledger ID-5265** में जमा कर राशि का खर्च विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराएँगे।

10– बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालोखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति स0स0–7/बजट–46–12/2023 के पृष्ठ–22/टि0 पर प्राप्त है।

13– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14– यह मात्र व्ययादेश है, आवटनादेश CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–7/बजट–46–12/2023 – 205 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक–13/08/ 2025

प्रतिलिपि–योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा, मधेपुरा एव सुपौल को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–6 एवं 7/लेखा शाखा (दो प्रतियों मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाए एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सबधित को ई–मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।